पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 11.06.2025

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.06.2025 को **श्री शुभम अग्रवाल,** अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में थाना चौरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पीड़ित को नौकरी दिलाने का झासा देकर ₹2,50,000/- ठगने व फर्जी नियुक्ती पत्र देने के सम्बन्ध में थाना चौरी पर पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण करते हुए झांसा देकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के दो आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से उत्तर-प्रदेश सचिवालय लिखी वर्ना कार,पाँच एण्ड्राइड मोबाईल व ₹ 1840/- नगद बरामद किया गया। लखनऊ सचिवालय में अच्छी जान पहचान की बात कहकर व उत्तर-प्रदेश सचिवालय वर्ना कार को दिखाकर ही लोगों को विश्वाश में लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे दोनों अभियुक्त।

थाना चौरी:- पीड़ित को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ₹2,50,000/- ठगने व फर्जी नियुक्ती पत्र देने के सम्बन्ध में थाना चौरी पर पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण। लखनऊ सचिवालय में अच्छी जान पहचान का झांसा देकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी दो अभियुक्त गिरफ्तार ।कब्जे से उत्तर-प्रदेश सचिवालय लिखी वर्ना कार , पाँच एण्ड्राइड मोबाईल व ₹ 1840/- नगद बरामद किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-:

◆दिनांक-28.05.2025 को श्री सत्यभुवन पाल पुत्र गजराज पाल निवासी भुलईपुर थाना चौरी जिला भदोही द्वारा थाना चौरी पर सूचना दिया गया कि चन्द्रशेखर सरोज पुत्र स्वा0 बंशराज सरोज निवासी चकमासुम थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 53 वर्ष तथा करमबीर सिंह पुत्र स्व0 डालचन्द सिंह निवासी मकान नं. 18/406 इन्द्रानगर सेक्टर 10 थाना इन्द्रानगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे अलग-अलग किस्तों में ₹2,50,000/- अपने बैंक खातों में मंगाया गया तथा डीआरएम ऑफिस नॉर्दन रेलवे नई दिल्ली का फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया गया। दिए गए सूचना पर थाना चौरी पर मु0अ0सं0-78/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उल्लेखनीय है कि पंजीकृत अभियोग में **श्री अभिमन्यु मांगलिक,** पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में कां0 कन्हैया कुमार साइबर क्राईम थाना भदोही द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों के बैंक खातों में उक्त ठगी की राशि को फि/होल्ड कराने हेतु अभियुक्तों के खातों से संबंधित 03 बैंको से पत्राचार कर कुल **₹172370 (एक लाख बहत्तर हजार तीन सौ सत्तर) की धनराशि को होल्ड/फ्रीज कराया** गया तथा अन्य बैंकों से संपर्क कर बाकी के रूपयों को भी होल्ड/फ्रीज की कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण-

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.06.2025 को **श्री शुभम अग्रवाल,** अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण व **श्री प्रभात राय,** क्षेत्राधिकारी औराई के नेतृत्व में थाना चौरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना पीड़ित को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ₹2,50,000/- ठगने व फर्जी नियुक्ती पत्र देने के सम्बन्ध में थाना चौरी पर पंजीकृत अभियोग पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण करते हुए झांसा देकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी दो अभियुक्तों को चौरी बाजार के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से उत्तर-प्रदेश सचिवालय लिखी वर्ना कार,पाँच एण्ड्राइड मोबाईल व ₹ 1840/- नगद बरामद किया गया। बरामदशुदा वाहन को कोई कागजात न होने पर अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया है। उक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में 338,336(3),340(2) बीएनएस का बढ़ोत्तरी किया गया है। अभियुक्तों के अन्य घटनाओं में संलिप्तता व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त चन्द्रशेखर उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं तथा करमबीर सिंह व मेरा पुत्र अखिलेश सरोज उम्र करीब 23 वर्ष निवासी हरीचंद थाना हण्डिया जिला प्रयागराज मिलकर उक्त कार पर लिखे सचिवालय के लोगो को दिखाकर व विश्वाश में लेकर कि हम लोगों का लखनऊ सचिवालय में अच्छी जान पहचान है जिससे लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। इसी क्रम में हम तीनों लोग मिलकर जनपद भदोही के भुलईपुर निवासी सत्यभुवन पाल पुत्र गजराज पाल से कुल 2,47,000/ (दो लाख सैंतालिस हजार रुपया) लेकर उसे डी. आर. एम. आफिस नार्दन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में नौकरी लगवाने का फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिये थे। वाहन के स्वामित्व के बारे में पूछने पर चालक के सीट पर बैठे करमबीर द्वारा बताया गया कि मैंने उक्त वाहन को अंकित भाई से खरीदा है जिसका ट्रान्सफर अभी नहीं हो सका है अंकित भाई का पूरा पता पूछा गया तो और कुछ नहीं बता सका ना ही उक्त वाहन से सम्बन्धित कोई कागजात ही दिखा सका।

अपराध का तरीका-

दोनों अभियुक्त लखनऊ सचिवालय में अच्छी जान पहचान की बात कहकर व अवैध तरीके से उत्तर-प्रदेश सचिवालय लिखी वर्ना कार को दिखाकर ही लोगो को विश्वाश में लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.चन्द्रशेखर सरोज पुत्र स्व0 बंशराज सरोज निवासी चकमासुम थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 53 वर्ष
2.करमबीर सिंह पुत्र स्व0 डालचन्द सिंह निवासी मकान नं. 18/406 इन्द्रानगर सेक्टर 10 थाना इन्द्रानगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी

अवैध तरीके से उत्तर-प्रदेश सचिवालय लिखी वर्ना कार ,पाँच एण्ड्राइड मोबाईल व ₹ 1840/- नगद बरामद

अनावरण अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0-78/2025 धारा 318(4), 316(2) 338,336(3),340(2) बीएनएस थाना चौरी जनपद भदोही

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सूरज बली वर्मा , उ0नि0 कल्पनाथ यादव का0 चन्दन कुमार गोंड़ का0 वृजेश यादव का0 उत्कर्ष सिंह व का0 आदित्य सिंह थाना चौरी जनपद भदोही